कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र.

क्रमांक- 406 /एम.आई.एस./प्र.अ./लोस्वायांवि/2011 भोपाल,दिनांक 16-12-11

:: परिपत्र ::

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 17-11 बी/19/2010/पार्ट-चार भोपाल दिनांक 29.03.2011 के द्वारा निर्माण विभागों में ठेकेदारों की अलग-अलग पंजीयन व्यवस्था के स्थान पर केन्द्रीयकृत व्यवस्था लागु की गई है ।

इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को नोडल कार्यालय तथा मुख्य अभियंता (योजना एवं बजट) कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को पंजीयन हेतु अधिकृत किया गया है ।

उक्त आदेश के पालन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित निर्माण कार्यो में उक्तानुसार केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत ठेकेदारों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी तथा केन्द्रीयकृत प्रणाली के अन्तर्गत ब्लेकलिस्ट होने वाले ठेकेदारों को योग्य ठेकदार नहीं माना जायेगा । भविष्य में विभाग द्वारा किसी ठेकेदार को ब्लेकलिस्ट करने हेतु यथोचित प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल को प्रेषित किया जायेगा ।

(एन.के.सेहरा)
प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक- 11520/एम.आई.एस./प्र.अ./लोस्वायांवि/2011 भोपाल,दिनांक 16/12/11

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र ---------- ।
3. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परि./मंडल ----------।
4. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड ---------- ।

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है ।

प्रमुख अभियंता